रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 327] नई दिल्ली, सोमवार, जून 7, 1971/ज्येष्ठ 17, 1893
No. 327] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 7, 1971/JYAISTHA 17, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 7th June 1971

S.O. 2279/18A/IDRA/71.—Whereas the Central Government is of the opinion that the Ajudhia Textile Mills Ltd., Delhi, an industrial undertaking in respect of which an Investigation has been made under Section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, is being managed in a manner highly detrimental to public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 18-A of the said Act, the Central Government hereby authorises the National Textile Corporation Limited, Delhi, (hereinafter referred to as the Authorised Controller) to take over the management of the whole of the said undertaking, namely, the Ajudhia Textile Mills Ltd., Delhi, subject to the following terms and conditions, namely:—

(i) The Authorised Controller shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government; and

(ii) The Authorised Controller shall hold office for five years from the date of publication in the Official Gazette of this Order. The Central Government may terminate the appointment of the Authorised Controller earlier, if it considers necessary to do so.

2. This Order shall have effect for a period of five years commencing on the date of its publication in the official Gazette.

[No. F 9(8)/Lic.Pol./71]
S. K. SAHGAL, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 7 जून, 1971

का० आ० 2279/18ए/आई डी आर ए/71:— यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अयुध्या टैक्सटाइल मिल्स लि०, दिल्ली नामक एक औद्योगिक उपक्रम का, जिसके सम्बन्ध में औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 15 के अधीन जांच की गई, प्रबन्ध इस ढंग से किया जा रहा है जो सार्वजानिक हित में बहुत ही अहितकार है ;

अतः, अब उपरोक्त अधिनियम की धारा 18–क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन लि०, दिल्ली (जिसे एतदोपरान्त प्राधिकृत नियंत्रक कहा जाएगा) को अयुध्या टैक्सटाइल मिल्स लि०, दिल्ली नामक उपरोक्त सम्पूर्ण उपक्रम का प्रबन्ध अपने अधिकार में लेने के लिये निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

(1) प्राधिकृत नियंत्रक, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर दिये गये निदेशों का पालन करेगा ;

(2) प्राधिकृत नियंत्रक इस आदेश के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिये कार्यभार सम्भालेगा । केन्द्रीय सरकार, यदि आवश्यक समझेगी, तो उससे पूर्व की इस प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति को रद्द कर सकती है ।

2. यह आदेश सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिये प्रभावी रहेगा ।

[सं० एफ०/9(8)/लिक० पोल०/71]

एस० के० सहगल,
संयुक्त सचिव, भारत सरकार ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971